

1-3

उभय पक्षों का आदेश देया जाता है कि अगली गैरिका को निश्चित उपरोक्त रैंडें। साथ अगली गैरिका को उभय पक्ष अनुपालन रहने में जो कदम की कार्रवाई स्वीकार कर दी जायगी। अधिक विवरण ~~दिए~~ 3.4.06 को रहने।

अमि कुमार ठिकर
निर्देशक

3.4.06

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। विगत कई विचारों से उभय पक्ष लगातार अनुपालन चल रहा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह है कि इन कदम में किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं है। अतः तत्काल कदम की कार्रवाई स्वीकार की जाती है।

अमि कुमार ठिकर
निर्देशक